राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण

संख्या– एफ / 02 / 07 / 2020 / एस.1 / 46 दिनांक 13.04.2020

आदेश संख्या

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

और जबकि, भारत सरकार ने कोविड–19 का प्रसार रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 की मध्यरात्रि तक पूर्ण बंदी लागू की।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों के लिए सभी संबंधित प्राधिकरणों को समय–समय पर विभिन्न आदेश / अनुदेश जारी किये हैं।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड 19 का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन और पृथक रहने के उपायों का कडाई से पालन करना अनिवार्य है।

और जबकि यह पाया गया है कि लॉकडाउन और सरकार द्वारा किये गये अन्य ऐहतियाती उपायों के बावजूद स्वास्थ्य, स्वच्छता और कानून व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले तथा अपने कार्यक्षेत्र और यहां के लोगों के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की विशेष टीमों के जरिए जमीनी स्तर पर प्रयास और बढाये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

और अब जबकि यह भी महसूस किया गया कि सुरक्षित दूरी बनाये रखने, मास्क लगाने, साफ सफाई के निर्देश अपनाने और लॉकडाउन के नियमों का कडाई से पालन करने की आवश्यकता है।

इसलिए अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्मलिखित उपायों का निर्देश देता है :–

1. प्रत्येक जिले में बूथ स्तर पर, मौजूदा कर्मचारियों में से उन कर्मचारियों को लेकर 'कोरोना स्थल योद्धा नियंत्रण और निगरानी दल' (सीएफडब्ल्यूसीएसटी) नाम से बहुक्षेत्रीय दल का गठन किया गया है:

- बूथ स्तर के अधिकारी (बी एल ओ) – टीम प्रमुख
- एक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक – निवासी/क्षेत्र में कार्यरत
- एक आशा आंगनबाडी कार्यकर्ता – निवासी/क्षेत्र में कार्यरत
- एक दिल्ली नगर निगम सफाईकर्मी – निवासी/क्षेत्र में कार्यरत
- दिल्ली पुलिस बीट कांस्टेबल – निवासी/क्षेत्र में कार्यरत

2. जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त ऐसी टीमों का गठन सुनिश्चित करेंगे और संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों से परामर्श के लिए एक कर्मचारी का नाम भी देंगे। यदि ये कर्मी पहले से कहीं व्यस्त है तो उन्हें इन टीमों में पुन कार्य सौंपा जा सकता हैं या अन्य विभागों के समान रैंक/समान कार्य के कर्मियों को टीम में लिया जा सकता है। जिला मेजिस्ट्रेट टीम में सदस्यों की संख्या में फेरबदल कर सकते हैं लेकिन टीम में पांच से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिये।

3. टीम के सदस्य पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ होने चाहिए।

4. टीम सदस्य अपने क्षेत्र के सभी परिवारों को, उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में और भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेने के लिए टेलीफोन करेंगे। घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित दूरी बनाये रखने और मास्क लगाने की सलाह देंगे। टीम के सदस्य संबंधित परिवार से उस क्षेत्र में किसी संदिग्ध कोरोना संक्रमित के बारे में भी मालूम करेंगे।

5. टीम के सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में विशेषकर झुग्गी झोपड़ी बस्ती, अनधिकृत कॉलोनी आबादी वाले क्षेत्र में सुरक्षित दूरी बनाये रखने और मास्क लगाने सहित भारत सरकार/दिल्ली सरकार के विभिन्न अनुदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दौरा करेंगे। टीम के सदस्य लोगों को निर्देशों के पालन के लिए समझायेंगे। ऐसा नहीं होने पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

6. टीम के सदस्य हर रोज अपनी बनायी सूची के हिसाब से हर एक परिवार में जायेंगे और संदिग्ध कोरोना संक्रमितों का पता लगायेंगे। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का पता चला है तो

पृथक रखे जाने और परीक्षण सहित संदिग्ध रोगी के लिए पहले से जारी नियमों के अनुपालन के लिए संबंधित डॉक्टर से संपर्क करेंगे।

7. यह टीम जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों को संदिग्ध संक्रमितों की जांच करने को कहेगी। स्वास्थ्य विभाग/संबद्ध जिले द्वारा आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को भी इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

8. यह टीम प्रभावित परिवार/संबंधित क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करने के बाद संदिग्ध संक्रमित लोगों को क्वारंटीन/आइसोलेशन केंद्र में जल्द से जल्द भेजे जाने की व्यवस्था में सहयोग देगी। टीम के सदस्य संबंधित स्थानीय निकाय की देखरेख में पहले से ही आ चुके अपने क्षेत्र को संकमण रहित करने की गतिविधियों की निगरानी रखेंगे और इसमें समन्वय स्थापित करेंगे।

9. संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी क्षेत्र की पहचान हो जाने के बाद टीम यह सुनिश्चित करेंगी कि वहां संकमण की रोकथाम/प्रबंधन के लिए तय योजना का पालन पूरी सतर्कता से किया जाये।

10. संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी क्षेत्र की पहचान हो जाने के बाद टीम यह सुनिश्चित करेंगी कि वहां संकमण की रोकथाम/प्रबंधन के लिए तय योजना का पालन पूरी सतर्कता से किया जाये।

11. कोरोना स्थल योद्धा नियंत्रण और निगरानी टीम प्रतिदिन शाम छह बजे अनुलग्नक 1 में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में दैनिक रिपोर्ट सौंपेंगे।

12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) ये रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए मोबाइल ऐप के रूप में मॉड्यूल तैयार करेगा।

13. एन आई सी जल्द से जल्द यह मॉड्रयूल इस प्रकार तैयार करेगा कि प्रत्येक टीम की संख्या राज्य के संबंधित जिले और एन सी संख्या के साथ आ जाये।

14. सीलिंग की व्यवस्था और टीम के सदस्यों के अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध संबंधित जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।

श्री संजय गोयल, आईएएस (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम और केन्द्र शासित प्रदेश काडर 2004 बैच) कोरोना स्थल योद्धा नियंत्रण और निगरानी टीम के गठन और उनके कामकाज का निरीक्षण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करते हुए करेंगे। वे प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव दिल्ली

सेवा में,

1. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. श्री संजय गोयल, आईएएस (एजीएमयूटीः 2004)
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।
6. आयुक्त (पुलिस), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली,
7. प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली।
9. आयुक्त, दक्षिण / उत्तरी / पूर्वी दिल्ली नगर निगम।
10. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।